186

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1518–दो/2010 – विरूद्व आदेश दिनांक 23–09–2010 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 105/2009–10 निगरानी

1–बिष्णुदत्त पुत्र रामगोपाल ब्राहमण
निवासी गॉधी नगर पोरसा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश
2– रामबाबू पुत्र नाथू सिंह तौमर
ग्राम रामनगर तहसील पोरसा
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ———आवेदकगण

विरूद्व

राजकुमार पुत्र घमण्डी ठाकुर निवासी
पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री ए0के0अग्रवाल अभिभाषक)
(अनावेदक की ओर से श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 105/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–9–2010 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक कमांक–1 एंव 2 ने तहसीलदार पोरसा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पृथ्वीपुर स्थित खाता कमांक 342 के सर्वे नंबर 512 रकबा 0.21 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के बटांकन की मांग की । तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण कमांक 01/2008–09 अ–3 पंजीबद्व किया

 निगरानी प्रकरण कमांक 1518–दो/2010 तथा आदेश दिनांक 10–6–2009 ने वादग्रस्त भूमि का बटांकन कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 54/2008–08 पर अपील पंजीबद्व की गई तथा अंतरिम आदेश दिनांक 15–6–2009 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 10–6–09 का कियान्वयन स्थगित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 27/2008–09 प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर मुरैना ने आदेश दिनांक 6–9–2010 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15–6–09 को निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 105/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–9–2010 से अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 6–9–10 निरस्त कर दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के आदेश दिांक 15–6–09 को अपील के निराकरण तक यथावत् रखा। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन उपरांत स्थिति यह है कि बहस के दौरान अनावेदक के अभिभाषक ने द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्वाह जिला मुरैना के न्यायालय से प्रकरण कमांक 6 ए/2014 में पारित आदेश दिनांक 19–12–2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत कर तद्नुसार निराकरण किये जाने की मॉग की। मान0 द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्वाह जिला मुरैना के आदेश दिनांक 19–12–2015 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व न्यायालय व्दारा वास्तविक बटवारा होने तक बिवादित भूमि के अंश भू भाग को निश्चित सीमायें डालकर विकय नहीं करने तथा बटवारा होने तक निश्चित् भू भाग पर निर्माण कार्य नहीं करने के आदेश है । व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है जिसके कारण तहसीलदार पोरसा व्दारा प्रकरण कमांक 01/2008–09 अ–3 में पारित आदेश दिनांक 10–6–2009 , अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह व्दारा अपील कमांक

 निगरानी प्रकरण कमांक 1518–दो/2010 54/2008–08 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15–6–2009 एंव अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा निगरानी कमांक 27/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 6–9–2010 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 105/09–10 में पारित आदेश दिनांक 23–9–2010 निष्प्रभावी हो गये हैं। द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्वाह जिला मुरैना के आदेश दिनांक 19–12–2015 के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय में बटवारा कार्यवाही विचारित होना है जिसके कारण पक्षकार द्वित्तीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्वाह जिला मुरैना के आदेश दिनांक 19–12–2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर बटवारा कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है और इन्हीं कारणों से विचाराधीन निगरानी प्रचलन–योग्य न रहने से निष्फल हो चुकी है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलन–योग्य न रहने के कारण गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर